वाणिज्यिक न्यायालय, गोरखपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या 35/2022
मेसर्स इराकी सप्लाई कॉर्पोरेशन
बनाम
भारत संघ द्वारा कमाण्डेन्ट सप्लाई डिपार्टमेंट

दिनांक 09.05.2026

आदेश

पत्रावली आज आज लोक अदालत में प्रार्थना–पत्र 31ग के निस्तारण हेतु पेश हुई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र 31ग वाद प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा कथित किया गया है कि प्रस्तुत वाद में कुछ तकनीकी त्रुटि हो गयी है, जिसकी वजह से प्रार्थी मुकदमा नहीं चलानाचाहता है। ऐसी दशा में मुकदमा बिना तजबीज निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है तथा प्रार्थना–पत्र पर यह भी अंकित किया गया है कि 'हम अपनी इच्छा से वापस ले रहे हैं। लोक अदालत में निर्णय किया जाय।'

अतः आवेदक के उपरोक्त कथन के आधार पर प्रकीर्ण वाद 35/2022 मेसर्स इराकी सप्लाई कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ द्वारा कमाण्डेन्ट सप्लाई डिपार्टमेंट, अन्तर्गत धारा 34 आर्बिट्रेशन एण्ड कान्सीलिएशन एक्ट, 1996 की कार्यवाही बिना तजबीज के समाप्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय,
गोरखपुर।

Digitally signed by RAM PYARE SAROJ
Date: 2026.05.09 16:33:07 IST
Reason: Document Owner
Location: Commercial Court, Gorakhpur